संख्या–1436/81–2–2022–800(125)/2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षण (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 22 **जून, 2022**

विषय– जनपद देवरिया में सोनौली–बलिया मार्ग एस0एच0–1 किमी0 153–154 के मध्य ग्राम अहिलवार बुजुर्ग तहसील सदर जनपद देवरिया में एस्सार ऑयल कार्पो0 लि0 द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–एफपी/यूपी/अदर्स/16134/2015)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–08बी/यूपी/06/46/2017/एफसी/895 दिनांक 11.09.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय आपत्तियां की गई थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–3530/11–सी–एफपी/यूपी/अदर्स/16134/2015 दिनांक 13.06.2022 द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 13.06.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना/अभिलेख की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

Data D. SO.Nodal.GOI Letter